महाविद्यालय–एक नजर में .....

शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर राज्य का सबसे पुराना एक प्रतिष्ठित संस्थान है जिसे छत्तीसगढ़ के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है। 13 जुलाई 1938 को स्थापित, यह संस्थान कला, वाणिज्य, विज्ञान और कानून के संकाय में ज्ञान का प्रसार करने के लिए पिछले आठ दशकों से भी अधिक समय से प्रतिबद्ध है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित, इसे छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी के बैनर तले और एक कार्यक्रम के द्वारा एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद स्वर्गीय श्री जनस्वामी योगानंदम के प्रयासों से शुरू किया गया था। रायपुर में स्थापित यह महाविद्यालय तब सी.पी. और बरार राज्य का एक हिस्सा था। 1956 में यह मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा रहा तथा वर्ष 2000 में यह छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा बना । 1938 में यह महाविद्यालय नागपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध था तथा वर्ष 1965 से यह पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से संबद्ध है ।

प्रारंभ में इसे छत्तीसगढ़ पी.जी. कॉलेज के नाम से जाना जाता था । सरकार ने इस महाविद्यालय के संस्थापक एवं प्राचार्य श्री जे.योगानंदम के सम्मान स्वरूप में दिनांक 13/06/2008 को इस महाविद्यालय का नाम शासकीय जे.योगानन्दम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय किया, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 14/11/2008 को तथा यूजीसी द्वारा दिनांक 20/07/2012 को अनुमोदित किया गया । वर्ष 1950 महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान में पीजी पाठ्यक्रम शुरू किया गया । 01 अक्टूबर 1982 महाविद्यालय के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन था जब राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालय का अधिग्रहण किया गया। वर्ष 1984 में महाविद्यालय में विज्ञान और विधि संकाय की शुरूआत हुई । 14 दिसंबर 1996 को महाविद्यालय को पीजी कॉलेज का दर्जा दिया गया तथा वर्ष 1996 में ही कॉलेज को राज्य सरकार द्वारा एक स्वायत्त (Autonomous) का दर्जा प्रदान किया गया ।

1938 में 10 छात्रों के साथ शुरू हुआ यह महाविद्यालय अब 4000 से भी अधिक छात्रों की संख्या तक पहुंच गया है । महाविद्यालय में अधिकांश छात्र समाज के वंचित और गरीब वर्गों के है, उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिये राज्य सरकार द्वारा उन्हें समय–समय पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है । महाविद्यालय के उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं ने समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया हैं तथा कॉलेज के कई पूर्व छात्र प्रसिद्ध शिक्षाविद, राजनेता, संपादक, पुलिस अधिकारी, वकील और प्रशासक आदि हैं।

शासन के निर्देशों के तहत स्नातक कार्यक्रमों में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम और सेमेस्टर सिस्टम को सत्र 2022–23 से अपनाया गया है और विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे वैल्यू एडेड कोर्स और सर्टिफिकेट कोर्स कॉलेज की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं।

उपलब्ध पाठ्यक्रम

शैक्षणिक सत्र 2024–25 में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम (बी.ए./बी.एस–सी./बी.कॉम.) में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी **"राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020"** के पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रवेश लेंगे । प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम व अंक विभाजन शासन/विश्वविद्यालय द्वारा जारी पाठ्यक्रम व अध्यादेश के अनुसार होगा ।

महाविद्यालय में कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं विधि में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन–अध्यापन की सुविधा उपलब्ध है :–

कला संकाय

(क) स्नातक – बी.ए. (चार वर्षीय)

इन कक्षाओं में अनिवार्य विषय आधार पाठ्यक्रम के अतिरिक्त पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित छैः समूहों में एक–एक विषय (कुल तीन विषय) का चयन होगा । महाविद्यालय में अध्ययन करने के लिए उपलब्ध विषय अग्रलिखित है – हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, दर्शनशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं मनोविज्ञान, विधि, एन.सी.सी.

समूह के नाम (प्रत्येक समूह के एक विषय, कुल तीन विषय)
समूह (एक) : समाजशास्त्र/प्राचीन भारतीय इतिहास
समूह (दो) : राजनीति शास्त्र/विधि
समूह (तीन) : हिन्दी साहित्य
समूह (चार) : अर्थशास्त्र
समूह (पॉच) : दर्शनशास्त्र/मनोविज्ञान/ भूगोल
समूह (छः) : इतिहास/अंग्रेजी साहित्य

(ख) स्नातकोत्तर – एम.ए. (प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर)

(1) हिन्दी	(2) अंग्रेजी	(3) राजनीति शास्त्र	(4) अर्थशास्त्र
(5) लोक प्रशासन	(6) समाजशास्त्र	(7) भूगोल	(8) प्राचीन भारतीय इतिहास
(9) इतिहास	(10)समाज कार्य	(11) दर्शनशास्त्र	(12) मनोविज्ञान
(13) मानवविज्ञान			

वाणिज्य संकाय

1. **बी.कॉम. (चार वर्षीय)**
2. **डिप्लोमा इन बिजनेस मैंनजमेंट (DBM)** एक वर्षीय पाठ्यक्रम
3. **एम.कॉम, (चार सेमेस्टर)**

विज्ञान संकाय

(क) बी.एस.सी. (चार वर्षीय)

1. **जीव विज्ञान समूह :– (Bio Group)**

   (अ) वनस्पति शास्त्र, प्राणीशास्त्र, रसायन शास्त्र (ब) मानव विज्ञान, प्राणी शास्त्र, रसायनशास्त्र

2. **गणित समूह :– (Maths Group)** (अ) रसायन शास्त्र, भौतिकी, गणित (ब) कम्प्यूटर साईंस, भौतिकी, गणित

विधि संकाय

1. **एल–एल.बी (सेमेस्टर पद्धति : भाग – एक, भाग–दो, भाग–तीन)**
2. **एल–एल.एम (भाग एक व भाग–दो) सेमेस्टर पद्धति भाग – एक, भाग–दो**

टीप :

1. स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर पद्धति (एल–एल.बी को छोड़कर) के अंतर्गत एक सेमीनार/आन्तरिक मूल्यांकन आयोजित किया जायेगा, जिसमें सम्मिलित होना विद्यार्थी के लिये अनिवार्य होगा ।
2. स्नातक स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों के अंतर्गत यदि विश्वविद्यालय तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के संबंध में महाविद्यालय अध्ययन मंडल/अकादमिक परिषद् द्वारा कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसके अनुरूप ही विषयों का अध्यापन महाविद्यालय में किया जावेगा ।
3. वैकल्पिक विषयों का जहां तक प्रश्न है, उसके लिए भी विभागाध्यक्ष सुविधानुसार परिवर्तन करने में सक्षम होंगे ।
4. स्नातकोत्तर स्तर पर आयोजित प्रत्येक सेमीनार/आन्तरिक मूल्यांकन में सम्मिलित होना विद्यार्थी के लिए अनिवार्य होगा ।
5. मेरिट लिस्ट केवल कॉलेज की Website एवं Notice Board पर चस्पा होगी । विद्यार्थीयों को इसकी सूचना अलग से नही दी जायेगी ।

अन्य पाठ्यक्रम

पी.जी.डी.सी.ए. : एक वर्षीय (दो सेमेस्टर पाठ्यक्रम)

टीप : – उपर्युक्त समस्त पाठ्यक्रमों में एल–एल.बी, एल–एल.एम की सेमेस्टर परीक्षाएँ, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा आयोजित होंगी । शेष सभी पाठ्यक्रम महाविद्यालय की स्वशासी योजनान्तर्गत हैं ।

हेल्प डेस्क समिति

1.	डॉ.के.के.बिंदल	संयोजक
2.	डॉ.ए.के.परसाई	सदस्य
3.	डॉ.संध्या नलगुंडवार	सदस्य
4.	डॉ.झरना रानी नाग	सदस्य
5.	डॉ.वैशाली सरडे	सदस्य
6.	प्रो.दीपा शर्मा	सदस्य
7.	श्रीमती निशा शर्मा	सदस्य

शोध सुविधा

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के नियमानुसार महाविद्यालय में विभिन्न विषयों में शोध सुविधा उपलब्ध होगी ।

शोध–केन्द्र

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा आदेश क्रमांक 4756/अका./शोध/2009, रायपुर दिनांक 01.04.2009 से महाविद्यालय के गणित विभाग को पी–एच.डी. के लिए तथा आदेश क्रमांक 7653/अ.का./2009 रायपुर, दिनांक 16–10–2009 से अंग्रेजी विभाग को पी–एच.डी. के लिए तथा मई 2015 से वाणिज्य विभाग को पी–एच.डी के लिए शोध केन्द्र की मान्यता प्रदान की गई है । वर्ष 2019 में समाजशास्त्र, वर्ष 2021 में विधि विभाग को पी–एच.डी के लिए शोध केन्द्र की मान्यता प्रदान की गई है ।

Marking System For CBCS Courses as per ptrsu ordinance no 197 (Only for UG Courses Sem- I to IV)

S.No		Theory (External Exam)		Internal Assessment		Practical/ Assignment		Total
		Max	Min	Max	Min	Max	Min	
1	Practical Subject	60	20	10	-	30	10	100
2	Non-Practical Subjects	80	27	10	-	10	3	100
3	Hindi/English Language/EVS	50	17	-	-	-	-	50
4	SEC Courses	50	17	-	-	-	-	50

नोट :– प्रत्येक प्रश्नपत्र (CORE) में उत्तीर्ण होने के लिये 100 अंक में से 40% अंक प्राप्त करने पर ही उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा ।

विभिन्न कक्षाओं के लिए संचालित पाठ्यक्रम एवं निर्धारित छात्र संख्या

सत्र 2024–25

संचालित पाठ्यक्रम	निर्धारित संख्या	संचालित पाठ्यक्रम	निर्धारित संख्या
बी0कॉम. भाग–1	**235**	एल.एल.एम. भाग 1 (प्रथम सेमेस्टर)	**90**
बी0कॉम. (कम्प्यूटर एप्लीकेशन) भाग–1	**30**	एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर (गणित)	**30**
बी.ए. भाग–1	**355**	एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर (रसायनशास्त्र)	**30**
बी.एस.सी. भाग–1 (बायो) (अ) वनस्पति समूह 130 (ब) मानव विज्ञान समूह 125 (स) भूगोल समूह 10	**265**	एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर (भौतिकशास्त्र)	**20**
		एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर (प्राणीशास्त्र)	**25**
		एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर (मानवविज्ञान)	**20**
		एम.कॉम. प्रथम सेमेस्टर	**25**
बी.एस.सी. भाग–1 (गणित समूह) (अ) रसायन समूह – 113 (ब) बी.एस.सी. (कम्प्यूटर साईंस) –40 (स) भूगोल समूह – 10	**163**	एम.ए. प्रथम सेमेस्टर (अर्थशास्त्र)	**25**
		एम.ए. प्रथम सेमेस्टर (समाजशास्त्र)	**25**
		एम.ए. प्रथम सेमेस्टर (लोक प्रशासन)	**25**
विधि भाग–1 (प्रथम सेमेस्टर)	**160**	एम.ए. प्रथम सेमेस्टर (हिन्दी)	**25**
बी.ए.एलएल.बी. भाग–1 (प्रथम सेमेस्टर) (प्रस्तावित)	**120**	एम.ए. प्रथम सेमेस्टर (प्रा.भा. इतिहास)	**25**
व्यवसाय प्रबंध (डी.बी.एम.)	**20**	एम.ए. प्रथम सेमेस्टर (राजनीतिशास्त्र)	**25**
एम.एस. सी (वनस्पति विज्ञान)	**20**	एम.ए. प्रथम सेमेस्टर (भूगोल)	**30**
एम.ए. (मनोविज्ञान)	**20**	एम.ए. प्रथम सेमेस्टर (अंग्रेजी)	**40**
		एम.ए. प्रथम सेमेस्टर (इतिहास)	**25**
		एम.ए. पूर्वार्द्ध (सोशल वर्क)	**20**
		एम.ए. प्रथम सेमेस्टर (दर्शनशास्त्र)	**25**
		पी.जी.डी.सी.ए.	**50**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग निषेध सम्बन्धित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम, 2009

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 धारा 26 (1) (जी) के अन्तर्गत)
नई दिल्ली – 110002, दिनांक 17 जून 2009

मि.सं. 1–16/2007 (सी.पी.पी.–।।)

उद्देशिका :–

माननीय उच्चतम न्यायालय के केरल विश्वविद्यालय बनाम काउंसिल प्रिसिंपल कॉलेज तथा अन्य, एस.एल.पी. सं. 24295, 2006 के 16–5–2007 तथा दिनांक 08–05–2009, सिविल अपील नं. 887 से प्राप्त निर्देशों तथा केन्द्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग निषेध तथा रैगिंग रोकने के संकल्प को ध्यान में रखते हुए। छात्र अथवा छात्रों द्वारा मौखिक शब्दों अथवा लिखित कार्य द्वारा नए अथवा अन्य छात्र को उत्पीड़न, दुर्व्यवहार, छात्र को उत्पात अथवा अनुशासनहीनता की गतिविधियों में संलिप्त करना जिससे नए अथवा किसी अन्य छात्र को कष्ट, परेशानी, कठिनाई अथवा मनोवैज्ञानिक हानि हो अथवा उसमें भय की भावना उत्पन्न हो अथवा नए या अन्य किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में करे तथा जिससे उसमें लज्जा की भावना उत्पन्न हो अथवा घबराहट हो जिससे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किसी छात्र पर दुष्प्रभाव पड़े अथवा कोई छात्र नए अथवा अन्य छात्र पर शक्ति प्रदर्शन करें। देश के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में समुचित विकास हेतु शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अन्य समितियों से विचार–विमर्श के पश्चात् ये अधिनियम बनाता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम 1956 धारा 26 उपखण्ड (जी) उपखंड (1) के अधिकारों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, जिसका नाम है–

1. शीर्षक, प्रारंभ और प्रयोज्यता :–

1.1 ये अधिनियम विश्वविद्यालय अनुदान के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने के अधिनियम 2009 कहे जायेंगे।

1.2 ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा (2) उपखंड (एफ) के अनुसार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम 1956 धारा 3 के अनुसार सभी डीम्ड विश्वविद्यालयों तथा अन्य सभी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं तथा इस प्रकार के विश्वविद्यालय के सम्बन्धित तत्वों से युक्त संस्थाओं तथा इस प्रकार के विश्वविद्यालय के सम्बन्धित तत्वों से युक्त संस्थाओं, विभागों, इकाइयों तथा अन्य सभी शैक्षिक, आवासीय, खेल के मैदान, जलपान गृह तथा विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं चाहे वे परिसर के भीतर हों अथवा बाहर तथा छात्रों के सभी प्रकार के

परिवहन चाहे वे सरकारी हों अथवा निजी छात्रों द्वारा इस प्रकार के विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों पर लागू होंगे।

2. उद्देश्य :–

किसी छात्र अथवा छात्रों के द्वारा दूसरों को मौखिक अथवा लिखित शब्दों द्वारा प्रताड़ित करना, उसे छेड़ना किसी नए छात्र के साथ दुर्व्यवहार करना अथवा उसे अनुशासनहीन गतिविधियों में लगाना जिससे आक्रोश, कठिनाई. मनोवैज्ञानिक हानि हो अथवा किसी नए अथवा अन्य किसी छात्र में भय की भावना उत्पन्न हो अथवा किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में नहीं करे अथवा ऐसा कार्य कराना जिससे उसमें लज्जा की भावना उत्पन्न हो, पीड़ा हो घबराहट हो अथवा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दुष्प्रभाव पड़े अथवा शक्ति प्रदर्शन करना अथवा किसी छात्र का वरिष्ठ होने के कारण शोषण करना। अतः सभी विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों तथा देश के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में इन अधिनियम के अन्तर्गत रैगिंग रोकना इस तरह की घटनाओं में संलिप्त व्यक्तियों को इन अधिनियम तथा विधि के अनुसार दण्डित करना है।

3. रैगिंग कैसे होती है–

निम्नलिखित कोई एक अथवा अनेक कार्य रैगिंग के अन्तर्गत आयेंगे–

(क) किसी छात्र अथवा छात्रों द्वारा नए आने वाले छात्र का मौखिक शब्दों अथवा लिखित वाणी द्वारा उत्पीड़न अथवा दुव्यवहार करना।

(ख) छात्र अथवा छात्रों द्वारा उत्पात करना अथवा अनुशासनहीनता का वातावरण बनाना जिससे नए छात्र को कष्ट, आक्रोश, कठिनाई, शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा हो।

(ग) किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में न करे तथा जिससे नए छात्र में लज्जा, पीड़ा अथवा भय की भावना उत्पन्न हो।

(घ) वरिष्ठ छात्र द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जो किसी अन्य अथवा नए छात्र के चलते हुए शैक्षिक कार्य में बाधा पहुँचाए ।

(ड) नए अथवा किसी अन्य छात्र का दूसरों को दिए गए शैक्षिक कार्य को करने हेतु बाध्य कर शोषण करना।

(च) नए छात्र का किसी भी प्रकार से आर्थिक शोषण करना।

(छ) शारीरिक शोषण का कोई भी कार्य/किसी भी प्रकार का यौन शोषण, समलैंगिग प्रहार, नंगा करना, अश्लील तथा काम सम्बन्धी कार्य हेतु विवश करना, अंग चालन द्वारा बुरे भावों की अभिव्यक्ति करना, किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट जिससे किसी व्यक्ति अथवा उसके स्वास्थ्य को हानि पहुँचे।

(ज) मौखिक शब्दों द्वारा किसी को गाली देना, ई–मेल, डाक, पब्लिकली किसी को अपमानित करना, किसी को कुमार्ग मार्ग पर ले जाना, स्थानापन्न अथवा कष्टदाय देना या सनसनी पैदा करना जिससे नए छात्र को घबराहट हो।

(झ) कोई कार्य जिससे नए छात्र के मन मस्तिष्क अथवा आत्मविश्वास पर दुष्प्रभाव पड़े। नए अथवा किसी छात्र को कुमार्ग पर जाना तथा उस पर किसी प्रकार की प्रभुता दिखाना।

3. परिभाषाएँ :–

1. इन अधिनियमों में जब तक कि कोई अन्य संदर्भ न हो।

(क) अधिनियम का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956/3) है।

(ख) शैक्षिक वर्ष का तात्पर्य किसी संस्था में किसी छात्र का किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश तथा उस वर्ष की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति है।

(ग) रैगिंग विरोधी हेल्पलाईन का तात्पर्य इन अधिनियमों के अधिनियम 8.1 की धारा (ए) है।

(घ) आयोग का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है।

(ङ) समिति (कौंसिल) का तात्पर्य संसद अथवा राज्य के विधानमंडल द्वारा नियमित उच्चतर शिक्षा संबंधित क्षेत्रों में सहयोग तथा स्तर बनाए रखने हेतु गठित समिति है। यथा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (ए.आई.सी.टी. ई.), बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बी.सी.आई.), डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डी.ई.सी.) दी इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च (आई. सी.ए.आर.), इंडियन नर्सिंग काउंसिल (आई.एन.सी. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एम.सी. आई.), नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एन.सी.टी.ई.). प्राइमरी काउंसिल ऑफ इंडिया (पी.सी.आई.) इत्यादि तथा राज्यों के उच्चतर शिक्षा काउंसिल इत्यादि ।

(च) जिला स्तरीय रैगिंग विरोधी समिति का तात्पर्य जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा रैगिंग रोकने के लिए जिले की परिसीमा में गठित समिति हैं।

(छ) संस्थाध्यक्ष का तात्पर्य विश्वविद्यालय अथवा डीम्ड विश्वविद्यालयों हेतु कुलपति अथवा किसी संस्था का निदेशक, कॉलेज का प्राचार्य सम्बन्धित का कार्यकारी अध्यक्ष है।

(ज) फ्रेशर से तात्पर्य वह छात्र है जिसका प्रवेश किसी संस्था में हो गया है तथा उस संस्था में उसकी पढ़ाई का प्रथम वर्ष चल रहा है।

(झ) संस्था का तात्पर्य वह उच्चतर शिक्षण संस्था है जो चाहे विश्वविद्यालय हो, डीम्ड विश्वविद्यालय हो, कॉलेज अथवा राष्ट्रीय महत्व की कोई संस्थान हो जिसकी रचना संसद के अधिनियम के अनुसार की गई हो। इसमें 12 वर्ष स्कूल की शिक्षा के बाद की शिक्षा दी जाती हो कोई आवश्यक नहीं है कि उसमें चरम सीमा तक उपाधि दो जाती हो। स्नातक/स्नातकोत्तर तथा उच्चतर स्तर अथवा विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र की।

(ञ) एन.ए.ए.सी. का तात्पर्य आयोग द्वारा अधिनियम की 12 (सी.सी.सी.) के अनुसार स्थापित नेशनल एकेडमिक एंड ऐक्रिडिटेशन काउंसिल है।

(ट) राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग सेल का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा विधि के अनुसार अथवा केन्द्र सरकार की सलाह पर रैगिंग रोकने के लिए बनाया गया निकाय है। जिसका कार्यक्षेत्र राज्य तक होगा।

2. शब्द तथा अभिव्यक्ति को यहाँ स्पष्ट नहीं किया गया है, किन्तु अधिनियम अथवा अधिनियम के सामान्य खण्ड 1887 वही अर्थ होगा जो उसमें दिया गया है।

5. संस्था स्तर पर रैगिंग निषेध के उपाय –

(क) कोई भी संस्था अथवा उसका कोई भाग, उसके तत्वों सहित केवल विभागों तक नहीं उसकी संघ तक ईकाई, कॉलेज, शिक्षण केन्द्र, उसके भू–गृह चाहे वे शैक्षिक, आवासीय खेल के मैदान अथवा जलपान गृह आदि चाहे वे विश्वविद्यालय परिसर में हो अथवा बाहर, सभी प्रकार के परिवहन या निजी सभी में रेगिंग रोकने हेतु इन विनियमों के अनुसार तथा अन्य सभी आवश्यक उपाय करेंगे। रिपोर्ट होने पर रैगिंग की किसी भी घटना को दबाया नहीं जाएगा।

(ख) सभी संस्थाएं रैगिंग के प्रचार, रैगिंग में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध इन विनियम के अनुसार कार्रवाई करेंगे।

6. संस्था स्तर पर रैगिंग रोकने के उपाय :–

6.1 छात्रों के प्रवेश अथवा पंजीकरण के संदर्भ में संस्था निम्नलिखित कदम उठाए।

(क) संस्था द्वारा जारी इलेक्ट्रॉनिक दृश्य, श्रव्य अथवा प्रिन्ट मीडिया के छात्र को प्रवेश संबंधी घोषणा में यही बताया जाए कि संस्था में रैगिंग पूर्णतः निषेध है। यदि कोई रैगिंग करने अथवा उसके प्रचार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दोषी पाया गया अथवा रैगिंग प्रचार के षडयंत्र में दोषी पाया गया तो उसे इन विनियम तथा देश के कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा।

(ख) प्रवेश की पुस्तिका के निर्देश पुस्तक तथा विवरण पत्रिका चाहे वे इलेक्ट्रॉनिक हो अथवा मुद्रित उनमें ये विनियम विस्तार से छापे जाएँ। प्रवेश पुस्तिका का निर्देश पुस्तिका विवरण पत्रिका में यह भी मुद्रित किया जाए कि रैगिंग होने या संस्था के अध्यक्ष इसके साथ संस्थाध्यक्ष, संकाय सदस्य रैगिंग विरोधी समिति के सदस्यों, रैगिंग विरोधी दस्तों के सदस्यों अथवा जिले के समिति के सदस्यों, रैगिंग विरोधी दस्तों के सदस्यों अथवा जिले के अधिकारियों, वार्डनों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के दूरभाष नम्बर प्रवेश पुस्तिका, निर्देश पुस्तिका अथवा विवरण पत्रिका में विस्तार से छापे जायें।

(ग) जहाँ कोई संस्था किसी विश्वविद्यालय से संबंध है वहां विश्वविद्यालय यह निश्चित कर लें कि प्रवेश पुस्तिका, निर्देश पुस्तिका यह विवरण पत्रिका प्रकाशित करें तो यह विनियम के विनियम 6.1 के खण्ड (ए) और खण्ड (बी) का अनुपालन करें।

(घ) प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र, नामांकन अथवा पंजीयन में एक शपथ पत्र आवश्यक रूप से अंग्रेजी और हिन्दी/अभ्यर्थी की ज्ञात किसी एक प्रादेशिक भाषा में इन विनियम के संलग्नक–1 के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए तथा हस्ताक्षर किया जाए कि उसने किसी अधिनियम के नियमों को पढ़ लिया है तथा इन विनियम के नियमों तथा विनियम के नियमों तथा विधि को समझ लिया है तथा यह घोषणा करता/करती है कि उसे किसी संस्था द्वारा निष्कासित/निकाला नहीं गया है। साथ ही वह रैगिंग किसी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा/होगी

और यदि वह रैगिंग करने अथवा रैगिंग के दुष्प्रेरण का दोषी पाया/पायी गई तो उसे इन विनियम तथा विधि के अनुसार दंडित किया जा सकता है और वह दंड केवल निष्कासन तक सीमित नहीं होगा।

(ङ) प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र, नामांकन अथवा पंजीकरण में एक शपथ पत्र अंग्रेजी और हिंदी तथा किसी एक प्रादेशिक भाषा या हिन्दी भाषा में इन विनियमों के साथ संलग्नक है। अभ्यर्थी के माता–पिता अभिभावक की और से दिया जाए कि उन्होंने रैगिंग के अधिनियम को पढ़ लिया है तथा समझ लिया है तथा रैगिंग रोकने संबंधित अन्य को वो जानते हैं तथा इसके लिए निर्धारित दंड को जानते हैं। वे घोषणा करते हैं कि उनका वार्ड किसी संस्था द्वारा निष्कासित नहीं किया गया है और न ही निकाला गया है तथा उनका वार्ड रैगिंग से सम्बन्धित किसी कार्य में प्रत्यक्ष/परोक्ष अथवा रैगिंग के दुष्प्रेरण में भाग नहीं लेगा और यदि वह इसका दोषी पाया गया तो उनको इन विनियम तथा कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। यह दंड केवल निष्कासन तक सीमित नहीं होगा।

(च) प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र के साथ स्कूल लीविंग/स्थानांतरण प्रमाण–पत्र/प्रवास प्रमाण–पत्र/चरित्र प्रमाण पत्र जिसमें छात्र के व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार की जानकारी दी गई हो ताकि संस्था इसके बाद उस पर नजर रख सके।

(छ) संस्था के/संस्था द्वारा व्यवस्थित व्यवस्था किए गए छात्रावास की प्रार्थना करने वाले छात्र की प्रार्थना पत्र के साथ एक अतिरिक्त शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र पर उसके माता/पिता/अभिभावक के भी हस्ताक्षर होंगे।

(ज) किसी भी संस्था में शैक्षिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व संस्था अध्यक्ष विभिन्न अधिकारियों/अभिकरणों जैसे छात्रापाल (वार्डन) छात्र प्रतिनिधि, छात्रों के माता–पिता अभिभावक, जिला प्रशासन, पुलिस आदि की मीटिंग आयोजित करें तथा रैगिंग रोकने के उपायों और उसमें संलिप्त अथवा उसका दुष्परिणाम करने वालों को चिन्हित कर दण्डि करने पर विचार–विमर्श हेतु उसे सम्बोधित करें।

(झ) समुदाय, विशेष रूप से छात्रों को रैगिंग के अमानवीय प्रभाव के संदर्भ में जागृत करने हेतु तथा संस्था उसके प्रति रवैये से अवगत कराने हेतु बड़े पोस्टर (वरीयता से बहुरंगी) नियम विधि तथा दंड हेतु छात्रावास, विभागों तथ अन्य भवनों के सूचना पट्ट पर लगाया जाए। उनमें से कुछ पोस्टर स्थायी रूप के हों जिन स्थानों पर छात्र एक होते हैं वहां रैगिंग का आघात किए जाने योग्य स्थानों पर विशेष रूप से ऐसे पोस्टर लगाए जायें।

(ञ) संस्था मीडिया से यह अनुरोध करें कि वह रैगिंग रोकने के नियमों का प्रचार–प्रसार करें। संस्था के रोकने और उसमें लिप्त पाए जाने पर बिना भेदभाव एवं भय के दण्डित करने के नियम प्रचार करें।

(ट) संस्था द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों को समझाया जाए तथा असुरक्षित स्थानों पर दृष्टि रखी जाए। संस्था द्वारा परिसर में विषय समय तथा शैक्षिक सत्र् के प्रारम्भ में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए तथा रैगिंग किए जाने योग्य स्थानों पर दृष्टि रखी जाए। पुलिस, रैगिंग विरोधी सचल दल तथा स्वयं सेवी (यदि कोई हो) व्यक्तियों से इसमें सहायता ली जाए।

(ठ) संस्था अवकाश के समय को नए शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ से पूर्व रैगिंग के विरूद्ध संगोष्ठी, पोस्टर, पत्रिका, नुक्कड़ नाटक आदि के द्वारा प्रचार करें।

(ड) संस्था के विभिन्न तंत्र संकाय/विभाग/इकाई आदि ।

(ढ) संस्था के संकाय/विभाग/इकाई आदि छात्रों की विशेष आवश्यकताओं का पूर्वानुमान कर निवारण करें तथा शैक्षिक सत्र् प्रारम्भ होने से पूर्व रैगिंग निषेध संबंधी अधिनियम के लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विधिवत् प्रबन्ध करें।

(ण) प्रत्येक संस्था अकादमिक सत्र् प्रारम्भ होने से पहले पेशेवर काउंसिलरों की सेवा अथवा सहायता लें और ये शैक्षिक वर्ष प्रारंभ होने के बाद भी नए तथा अन्य छात्रों की काउंसिलिंग के लिए उपलब्ध हो।

(त) संस्थाध्यक्ष स्थानीय पुलिस तथा अधिकारियों को वित्तीय आधार पर प्रबंध किये गये छात्रावास तथा निवास हेतु प्रयोग किये जा रहे भवन के संबंध में विस्तृत जानकारी दें। संस्थाध्यक्ष यह भी सुनिश्चित करें कि रैगिंग विरोधी दल ऐसे स्थानों पर रैगिंग रोकने हेतु चौकसी रखें।

6.2 छात्रों का प्रवेश, नामांकन अथवा पंजीकरण होने पर निम्नलिखित कदम उठाए, जिसका नाम इस प्रकार है–

(क) संस्था में प्रवेश दिए गए प्रत्येक छात्र को एक मुद्रित पर्णिका दी जाए जिसमें यह बताया गया हो कि उसे विभिन्न उद्देश्यों हेतु किससे निर्देशन प्राप्त करता है। इसमें अधिकारियों के दूरभाष नं. तथा पते भी दिए जायें ताकि आवश्यकता पड़ने पर छात्र किसी भी संबंधित व्यक्ति से तुरन्त संपर्क करें। इन विनियम में संदर्भित रैगिंग विरोधी हैल्पलाईन वार्डन, संस्थाध्यक्ष तथा रैगिंग विरोधी समिति तथा दल के सदस्यों तथा संबंधित जिले तथा पुलिस के अधिकारियों के पते और दूरभाष नं. विशेष रूप से समाहित किए जायें।

(ख) संस्था इन विनियम के विनियम 6.2 खण्ड (ए) में निर्देश दिए गये हैं। प्रबंधक को नए छात्रों को दी जाने वाली पर्णिका द्वारा स्पष्ट करें तथा उन्हें अन्य छात्रों से भलीभाँति परिचित कराने हेतु कार्य करें।

(ग) इन विनियमों के विनियम 6–2 खण्ड (ए) में निर्देशित पर्णिका द्वारा नए छात्रों को संस्था के बोनाफाइड स्टूडेंट के रूप में उनके अधिकार भी बताएं जाएं। उन्हें यह भी बताया जाए कि वे अपनी इच्छा के बिना किसी का कोई कार्य न करें चाहे उनके लिए उनके वरिष्ठ छात्रों ने कहा हो तथा रैगिंग के प्रयास के सूचना तुरन्त रैगिंग विरोधी दल, वार्डन अथवा संस्थाध्यक्ष को दे दें।

(घ) इन विनियमों के विनियम 6.2 खण्ड (ए) में निर्देशित पर्णिका में संस्था में मनायें जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों तथा गतिविधियों की तिथि दी हो ताकि नए छात्र संस्था के शैक्षिक परिवेश एवं वातावरण से परिचित हो सकें।

(ड) वरिष्ठ छात्रों के आने पर संस्थान प्रथम अथवा द्वितीय सप्ताह के बाद जैसा भी हो अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करें जिनका नाम (1) संयुक्त सैंसेटाइजेशन प्रोग्राम और वरिष्ठ और कनिष्ठ छात्रों की काउंसिलिंग व्यावसायिक काउन्सलर के साथ खण्ड 6.1 नियम के विनियम के अनुसार करें, (2) नये और पुराने छात्रों को संयुक्त अभिविन्यास कार्यक्रम को संस्था तथा रैगिंग विरोधी समिति सम्बोधित करें, (3) संकाय सदस्यों की उपस्थिति में नये और पुराने छात्रों के परिचय हेतु अधिकाधिक, सांस्कृतिक खेल तथा अन्य प्रकार को गतिविधियां आयोजित की जाये, (4) छात्रावास में वार्डन सभी छात्रों को सम्बोधित करें तथा अपने दो कनिष्ठ सहयोगियों से कुछ समय तक सहयोग देने हेतु निवेदन करें, (5) जहाँ

तक संभव हो संकाय सदस्य हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के साथ भोजन भी करें ताकि नये छात्रों में आत्मविश्वास का भाव उत्पन्न हो।

(च) संस्था समुचित समितियों का गठन करें। कोर्स इंचार्ज, वार्डन तथा कुछ वरिष्ठ छात्र इन समितियों के सदस्य हो। यह समिति नये और पुराने छात्रों के बीच सम्बन्ध सुदृढ़ बनाने में सहयोग दें।

(छ) नये अथवा अन्य छात्र चाहे वे रैगिंग के भोगी हों अथवा रैगिंग होते हुए उन्होंने दोषी को देखा हो उन्हें ऐसी घटनाओं की सूचना देने हेतु उत्साहित किया जाए ताकि उनकी पहचान सुरक्षित रखी जाए और ऐसी घटनाओं के सूचना देने वालों को किसी दुष्परिणाम से बचाया जाए।

(ज) संस्था में आने पर नय छात्रों के प्रत्येक बैच को छोटे–छोटे वर्गों में बाँट दिया जाए और ऐसा प्रत्येक वर्ग किसी एक संकाय सदस्य को दे दिया जाए, जो स्वयं वर्ग ग्रुप के सभी सदस्यों से परिचित हो और यह देखें कि नये छात्रों के किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो यदि हो तो उसका समाधान करने में उचित सहायता करें।

(झ) इस प्रकार की समिति के संकाय सदस्य का यह दायित्व होगा कि वार्डनों को सहयोग दें तथा छात्रावास में औचक निरीक्षण करते रहें। जहाँ संकाय सदस्य को अपने अधीन छात्रों की डायरी मेन्टेन करें।

(ञ) नये छात्रों को अलग छात्रावास में रखा जाये और जहाँ इस प्रकार की सुविधायें न हों वहाँ संस्था यह सुनिश्चित करें कि नये छात्रों को दिये गये निवास स्थानों पर वार्डन तथा सुरक्षा गार्ड और कर्मचारी कड़ी निगरानी रखें।

(ट) संस्था 24 घंटे छात्रावास परिसर में रैगिंग रोकने के लिए कड़ी नजर रखने का प्रबन्ध करें।

(ठ) नये छात्रों के माता–पिता/अभिभावकों का यह दायित्व होगा कि रैगिंग से सम्बन्धित सूचना संस्था–अध्यक्ष के प्रदान करें।

(ड़) प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र जो संस्था में पढ़ रहा हो। वह और उसके माता–पिता/अभिभावक प्रवेश के समय निर्देशित शपथ पत्र दे जैसा कि विनियम के विनियम 6.1 खण्ड (डी), (ई) और (जी) के अनुसार दिया जाना। प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में चाहिए।

(ढ) प्रत्येक संस्था विनियम (6.2) खण्ड एल के सन्दर्भ अनुसार प्रत्येक छात्र से शपथ पत्र लें और उनका उचित रिकार्ड रखें। प्रतिलिपियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित रखें ताकि जब आवश्यकता हो कमीशन अथवा कोई संकलित अथवा संस्था अथवा सम्बन्धित विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य सक्षम व्यक्ति अथवा/संघटन द्वारा उन्हें प्राप्त किया जा सके।

(ण) प्रत्येक छात्र/छात्रा अपने पंजीकरण के समय संस्था को अपनी पढ़ाई करते समय निवास स्थान को सूचना दें यदि उसका निवास स्थान तय नहीं किया है या वह अपने निवास बदलना चाहता/चाहती है तो उसका निश्चय होते ही विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी जाए और विशेष रूप से निजी खर्च पर व्यक्ति किये गये भवनों अथ छात्रावासों की जहाँ वह रह रहा है/रही है।

(त) आयोग द्वारा आँकड़ा गैर सरकारी निकाय जिसे केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया गया हो, को उपलब्ध कराया जाये। इससे आम जनता में विश्वास तथा समिति के आदेश का अनुपालन न करने की सूचना दी जा सके।

(थ) प्रत्येक शैक्षिक वर्ष पूर्ण होने पर संस्थाध्यक्ष प्रथम वर्ष पूर्ण करने वाले छात्रों के माता–पिता/अभिभावकों को रैगिंग से सम्बन्धित विधि और जानकारी से सम्बन्धित पत्र भेजें तथा उनसे अनुरोध करें कि नए शैक्षिक सत्र् के प्रारम्भ में वापस आने पर उनके स्वयं बालक रैगिंग से सम्बन्धित किसी गतिविधि में भाग न लें।

6.3 प्रत्येक संस्था निम्नलिखित नामों से समितियाँ गठित करें :–

(क) प्रत्येक संस्था एक समिति बनाए जिसे रैगिंग विरोधी समिति (एंटी रैगिंग कमेटी) कहा जाए। समिति की अध्यक्षता संस्थाध्यक्ष करें तथा समिति के सदस्यों को वे ही नामांकित करें। इसमें पुलिस तथा नागरिक प्रशासन के प्रतिनिधि भी हो। स्थानीय मीडिया युवा गतिविधियों से जुड़े गैर सरकारी संघटक संकाय सदस्यों के प्रतिनिधि, माता–पिता में से प्रतिनिधि, नए तथा पुराने छात्रों के प्रतिनिधि, शिक्षणेतर कर्मचारी तथा विभिन्न वर्गों से प्रतिनिधि समिति में से लिंग के आधार पर इस समिति में स्त्री–पुरूष दोनों हों।

(ख) रैगिंग विरोधी समिति का कर्तव्य होगा कि वह इन विनियम प्रावधान तथा रैगिंग से सम्बन्धित कानून का अनुपालन कराए तथा रैगिंग विरोधी दल के रैगिंग रोकने सम्बन्धी कार्यों को भी देखें।

(ग) प्रत्येक संस्था एक छोटी समिति का भी गठन करें, जिसे रैगिंग विरोधी (एंटी रैगिंग स्क्वैड) नाम से जाना जाए। इसे भी संस्थाध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए। यह समिति नजर रखे तथा हर समय वैटरॉलिंग और गतिशील बनी रहने हेतु तत्पर रहे। रैगिंग विरोधी दल स्क्वैड में कैम्पस के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। इसमें परिसर से बाहर के व्यक्ति नहीं होंगे।

(घ) रैगिंग विरोधी दल का यह दायित्व होगा कि वह छात्रावास तथा रैगिंग की दृष्टि से संवेदनशील अन्य स्थानों का घटना की औचक निरीक्षण करें।

(ड़) रैगिंग विरोधी दल का यह दायित्व होगा कि वह संस्थाध्यक्ष अथवा अन्य किसी संकाय सदस्य अथवा किसी कर्मचारी अथवा किसी छात्र अथवा किसी माता–पिता अथवा अभिभावक द्वारा सूचित की गई रैगिंग की घटना की जाँच घटना स्थल पर जाकर करें तथा जाँच की रिपोर्ट संस्कृति सहित रैगिंग विरोधी समिति को विनियम 9.1 उपखण्ड (ए) के अनुसार कार्रवाई हेतु सौंपे।

रैगिंग विरोधी दल इस प्रकार की जाँच निष्पक्ष एवं पारदर्शी विधि से करें तथा सामान्य न्याय का पालन किया जाए। रैगिंग के दोषी पाए जाने वाले छात्र/छात्रों तथा गवाहों को पूरा अवसर देने तथा तथ्य एवं प्रमाण आदि देखने के बाद इसकी सूचना प्रेषित की जाए।

6.4 प्रत्येक संस्था शैक्षिक वर्ष पूर्ण होने पर इन विनियम के उद्देश्य प्राप्त करने हेतु एक मॉनिटरिंग सेल बनाएं, जिसमें नए छात्रों को मॉनीटर करने वाले स्वयंसेवी छात्र हों। नए छात्रों पर एक मॉनिटर होना चाहिए।

(छ) प्रत्येक विश्वविद्यालय, एक समिति का गठन करें, जिसे रैगिंग के मॉनिटरिंग सेल के रूप में जाना जाए, जो उस संस्था अथवा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कॉलेजों में इन विनियम के उद्देश्य प्राप्त करने हेतु सहयोग दें। मॉनिटरिंग

सेल संस्थाध्यक्षों रैगिंग विरोधी समिति रैगिंग विरोधी दल से रैगिंग गतिविधियों की सूचना प्राप्त कर सकता है। यह जिलाधिकारी को अध्यक्षता में गठित /जनपद स्तरीय रैगिंग विरोधी समिति के सम्पर्क में रहे।

(ज) मॉनिटरिंग सेल, संस्था द्वारा किए जा रहे रैगिंग विरोधी उपायों का भी मूल्यांकन करेगी। माता–पिता/अभिभावकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में दिए गए शपथ पत्र तथा रैगिंग के नियम तोड़ने पर दण्डित किए जाने हेतु उनक सहमति को भी जांच करेगा। यह दोषियों को दण्डित किए जाने हेतु उसकी मुख्य भूमिका होगी। रैगिंग विरोधी उपायों के कार्यान्वयन में भी इसकी मुख्य भूमिका होगी।

6.5 प्रत्येक संस्था निम्नलिखित उपाय भी करें, जिनका नाम हो–

(क) प्रत्येक छात्रावास अथवा स्थान जहाँ छात्र रहते है। संस्था के उस भाग में पूर्णकालिक वार्डन हो जिसकी नियुक्ति संस्था द्वारा अहंता के नियमानुसार की जाय जो अनुशासन बनाये रखें तथा छात्रावास में रैगिंग की घटनाओं को रोकने के साथ ही युवाओं से कक्षा के बाहर काउंसिलिंग और संबंध बनाये रखें। वह छात्रावास में रहे या छात्रावास के अत्यन्त निकट रहे।

(ख) वार्डन हर समय उपलब्ध हो। दूरभाष तथा संचार के अन्य साधनों से हर समय सम्पर्क किया जा सके। वार्डन को संस्था मोबाइल फोन उपलब्ध कराया जाये, जिसके नम्बर की जानकारी छात्रावास में रह रहे सभी छात्रों को हो।

(ग) संस्था द्वारा वार्डन तथा रैगिंग रोकने से संबंधित अन्य अधिकारियों के अधिकार बढ़ाने का विचार किया जा सकता है। छात्रावास में नियुक्त सुरक्षाकर्मी सीधे वार्डनों के नियंत्रण में हों तथा वार्डन द्वारा उनके कार्य का मूल्यांकन किया जाए।

(घ) इन विनियमों के विनियम 6.1 उपखण्ड (ओं) के अनुसार प्रवेश के समय पेशेवर काउंसिलर रखें जाये जो नये और अन्य छात्र जो अपने आने वाले जीवन की तैयारी हेतु विशेष रूप से छात्रावास में रहने से सम्बन्धित काउंसिलिंग चाहते हो उन्हें कांउंसिलिंग करें। ऐसे काउंसिलिंग सत्रों से माता–पिता तथा शिक्षकों को भी जोड़ा जाये।

(ङ) संस्था रैगिंग विरोधी उपायों का व्यापक काउंसिलिंग सत्र, कार्यशाला, पेंटिंग द्वारा यह कार्य किया जा सकता है।

(च) संस्था के संकाय सदस्य उसका शिक्षणेतर कर्मचारी, जो केवल प्रशासनिक पद तक सीमित नहीं है, सुरक्षा गार्डस तथा संस्था के अन्दर सेवा करने वाले कर्मचारियों को रैगिंग तथा उसके दुष्परिणाम के प्रति संवेदनशील बनाया जाए।

(छ) संस्था/शिक्षण एवं शिक्षणेतर प्रत्येक कर्मचारी से संविदा पर रखे गए प्रत्येक श्रमिक से चाहे वे कैंटिन के कर्मचारी हों अथवा सुरक्षा गार्ड हो या सफाई वाले कर्मचारी हो सबसे एक अनुबंध लें कि वे अपनी जानकारी में आने वाले रैगिंग को घटना की जानकारी तुरन्त सक्षम अधिकारियों को देंगे

(ज) संस्था द्वारा सेवा कार्य की नियमावली में रैगिंग की सूचना देने वाले कर्मचारियों को अनुशंसा पत्र देने का नियम बनाए तथा उसे उनके सेवा रिकॉर्ड में रखा जाए।

(झ) संस्था द्वारा कैंटिन और मैस के कर्मचारियों, चाहे वे संस्था के कर्मचारी हो अथवा निजी सेवा देने वाले हो को निर्देशित किया जाए कि वे अपने क्षेत्र में

कड़ी नजर रखें तथा रैगिंग की कोई भी घटना होने पर उसको जानकारी तुरन्त संस्थाध्यक्ष रैगिंग विरोधी समिति के सदस्यों अथवा वार्डन को दें।

(ञ) शिक्षा की किसी भी स्तर की उपाधि देने वाली संस्था यह देख लें कि उसके पाठ्यक्रम में रेगिंग विरोधी कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाए। मानव अधिकारों की रक्षा पर बल दिया जाए। विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम में रैगिंग की संवेदनशीलता पर प्रकाश डाला जाए। प्रत्येक शिक्षक काउंसिलिंग के स्थिति में निपटने का ढंग आना चाहिए।

(ट) प्रथम वर्ष नए विद्यार्थियों की और हर पन्द्रह दिन में गुमनाम बेतरतीब सर्वेक्षण किए जाएँ। यह देखने के लिए कि संस्था में रैगिंग नहीं हो रही है। सर्वेक्षण की रूपरेखा संस्था स्वयं निश्चित करें। संस्था द्वारा छात्र को दिए जाने वाले विश्वविद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र में छात्र के सामान्य चरित्र और व्यवहार के अतिरिक्त यह भी दिया जाए कि क्या छात्र कभी रैगिंग संबंधी अपराध में संलिप्त रहा है। क्या छात्र ने कोई हिंसक अथवा दूसरे को हानि पहुँचाने वाला अपराध किया है।

(ठ) इन विनियमों विभिन्न अधिकारियों, सदस्यों तथा समितियों के अधिकार बताए गए हैं। इसके साथ ही सभी वर्गों के अधिकारियों संकाय के सदस्यों तथा कर्मचारियों सहित चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी जो भी संस्था की सेवा कर रहा है, उसका यह सामूहिक दायित्व होगा कि वह रैगिंग की घटनाओं को रोके ।

(ड) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थाध्यक्ष अथवा अन्य संस्था का अध्यक्ष सत्र् के प्रारम्भिक तीन महीने तक रैगिंग के आदेश के अनुपालन तथा रैगिंग विरोधी उपायों की जानकारी से सम्बन्धित इन विनियम के अधीन साप्ताहिक रिपोर्ट उस विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा जिसके द्वारा वह संस्था रिकॉग्नाइज की गई हैं, उसे दें।

(ढ) प्रत्येक विश्वविद्यालय को कुलपति महोदय विश्वविद्यालय तथा रैगिंग की देखरेख करने वाले सेल की रिपोर्ट प्रत्येक पन्द्रह दिन बाद राज्य स्तरीय देख–रेख करने वाले को सेल दें।

7. संस्थाध्यक्ष द्वारा दी जाने वाली कार्रवाई :–

(I) रैगिंग विरोधी दल अथवा संबंधित किसी के भी द्वारा रैगिंग की सूचना प्राप्त होने पर संस्थाध्यक्ष तुरन्त सुनिश्चि करें कि क्या कोई अवैध घटना हुई है और यदि हुई है तो वह स्वयं अथवा उसके द्वारा अधिकृत रैगिंग विरोधी समिति से सूचना प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराए अथवा रैगिंग से संबंधित विधि के अनुसार संस्तुति दे। रैगिंग के अंतर्गत निम्नलिखित अपराध आते हैं।

(II) रैगिंग हेतु उकसाना।

(III) रैगिंग का आपराधिक षड्यंत्र ।

(IV) रैगिंग के समय अवध ढंग से एकत्र होना तथा उत्पात करना।

(V) रैगिंग के समय जनता को बाधित करना।

(VI) रैगिंग के द्वारा शालीनता और नैतिकता भंग करना।

(VII) शरीर को चोट पहुँचाना।

(VIII) गलत ढंग से रोकना।

(IX) आपराधिक बल प्रयोग।

(X) प्रहार करना, मौन सम्बन्धी अपराध अथवा अप्राकृतिक अपराध ।

(XI) बलात् ग्रहण

(XII) आपराधिक ढंग से बिना अधिकार दूसरे के स्थान में प्रवेश करना ।

(XIII) सम्पत्ति से संबंधिक अपराध

(XIV) आपराधिक धमकी।

(XV) मुसीबत में फँसे व्यक्तियों के प्रति उपर्युक्त में से कोई अथवा सभी अपराध करना।

(XVI) उपर्युक्त में से कोई एक अथवा सभी अपराध पीड़ित के विरूद्ध करने हेतु धमकाना

(XVII) शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अपमानित करना

(XVIII) रैगिंग की परिभाषा से संबंधित सभी अपराध।

रैगिंग की परिभाषा से सम्बंधित सभी अपराध यह भी उल्लेख किया जाता है तथा पते छात्रों को उपलब्ध कराए जाएँ ताकि आकस्मिकी में वे उनका प्रयोग कर सकें।

(च) आयोग छात्रों तथा उनके माता–पिता/अभिभावक द्वारा दिए गए शपथ पत्रों के आधार पर आंकड़ा रखेगा। यह आंकड़ा रैगिंग की शिकायतों तथा उस पर की गई कार्रवाई के रिकार्ड के रूप में कार्य करेगा।

(छ) आयोग इस आंकड़े को केन्द्र सरकार द्वारा नामित एवं गैर सरकारी संघटन को उपलब्ध कराएगा। इससे आम जनता में विश्वास बढ़ेगा इन विनियम के अनुपालन न करने की सूचना भी आयोग केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत समितियों को उपलब्ध कराएगा।

8.2 आयोग नियम के अनुसार निम्नलिखित कदम उठाएगाः–

(क) आयोग संस्था हेतु यह आवश्यक करेगा कि वह अपनी विवरणिका में केन्द्र सरकार के निर्देश अथवा राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति के रैगिंग निषेध संबंधी निर्देश और उसके परिणाम समाहित करें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो यह माना जाएगा कि वे शिक्षा का स्तर गिर रहे हैं तथा इसके लिए उनके विरूद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।

(ख) आयोग यह प्रमाणित करेगा कि इन विनियमों के अनुसार छात्रों तथा उनके माता–पिता/अभिभावक से शपथ पत्र संस्था द्वारा प्राप्त किया जा रहा है।

(ग) आयोग द्वारा संस्था को दी जा रही किसी प्रकार की विशेष अथवा सामान्य किसी प्रकार की आर्थिक सहायता अथवा अनुदान के युटिलाइजेशन प्रमाण पत्र में एक शर्त यह लगाई जाएगी कि संस्था द्वारा रैगिंग निषेध संबंधी विनियम एवं उपायों का अनुपालन किया जा रहा है।

(घ) रैगिंग की किसी भी घटना का संस्था के रैंक अथवा एन.ए.ए.सी. अथवा किसी अन्य सक्षम एजेंसी द्वारा दी जाने वाले रैगिंग और ग्रेडिंग पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है।

(इ) आयोग उन संस्थाओं को अतिरिक्त अनुदान दे सकता है अथवा अधिनियम खण्ड 12 बी के लिए अर्ह मान सकता है। जहाँ रैगिंग की घटनाएँ नहीं होंगी।

(च) जहाँ रैगिंग की घटनाएँ नहीं होंगी। आयोग रैगिंग रोकने के लिए एक इंटर कॉसिल कमेटी बनाएगा जिसमें की भिन्न परिषदों के प्रतिनिधि होंगे। गैर सरकारी एजेंसी आयोग द्वारा रखे जा रहे आंकड़े को देखने के लिए उपखंड (जी) अधिनियम 8.1 के और इस प्रकार के निकाय उच्चतर शिक्षा में रैगिंग विरोधी उपायों को देखने तथा सहयोग देने हेतु तथा समय–समय पर संस्तुतियाँ देने हेतु और प्रत्येक वर्ष के छः महीने में इसकी कम से कम एक बैठक होंगी। आयोग एक रैगिंग विरोधी सेल आयोग में बनाएगा। जो रैगिंग से संबंधित सूचनाएँ एकत्र करने तथा उस पर दृष्टि रखने में सचिव की सहायता करेगा। राज्य स्तरीय दृष्टि रखने वाले सेल को ताकि रैगिंग को रोकने के उपायों पर सुचारू रूप से कार्य हो सके। यह सेल गैर सरकारी संघटन जो रैगिंग राकने से संबंधित होंगे, को आंकड़े देख–रेख में सहायता देगा। इसकी संरचना अधिनियम 8.1 के खण्ड (जी) के अधीन की जाएगी।

9. रैगिंग की घटनाओं पर प्रशासनिक कर्रवाई

9.1 किसी छात्र को रैंगिंग का दोषी पाए जाने पर संस्था द्वारा निम्नलिखित विधि अनुसार दण्ड दिया जाएगा।

(क) रैगिंग विरोधी समिति उचित दण्ड के संबंध में उचित निर्णय लेगी अथवा रैगिंग की घटना के स्वरूप एवं गम्भीरता को देखते हुए रैगिंग विरोधी दल दण्ड हेतु अपनी संस्तुति देगा।

(ख) रैगिंग विरोधी समिति रैगिंग विरोधी दल द्वारा निर्धारित किए गए अपराध के स्वरूप और गम्भीरता को देखते हुए निम्नलिखित में कोई एक अथवा अनेक दण्ड देगी।

(I) कक्षा में उपस्थित होने तथा शैक्षिक अधिकारों से निलम्बन ।

(II) छात्रवृत्ति/छात्र अध्येतावृत्ति तथा अन्य लाभों को रोकना/वंचित करना ।

(III) किसी टैस्ट/परीक्षा अथवा अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में उपस्थित होने से वंचित करना।

(IV) परीक्षाफल रोकना ।

(V) किसी प्रादेशिक, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मीट, खेल, युवा महोत्सव आदि में संस्था का प्रतिनिधित्व करने से वंचित करना ।

(VI)

सूचना

विद्यार्थियों का 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।

75 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर नियमित छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी ।

प्राचार्य

महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएं
महाविद्यालयीन पत्रिका का प्रकाशन

महाविद्यालयीन विद्यार्थियों में साहित्यिक अभिरूचि एवं रचनात्मक कौशल विकसित करने के लिए प्रतिवर्ष महाविद्यालयीन पत्रिका "प्राची" का प्रकाशन किया जाता है। इस हेतु हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में स्वरचित रचनाएँ आमंत्रित की जाती है । निबंध, कहानी, कविता, संस्मरण एवं साक्षात्कार आदि प्रकाशनार्थ विभागाध्यक्ष हिन्दी एवं अंग्रेजी के पास जमा की जा सकती है।

युवा उत्सव

महाविद्यालय में राज्य शासन एवं विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार "युवा उत्सव" का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। "युवा उत्सव" के अन्तर्गत विभिन्न साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। विद्यार्थियों को "युवा उत्सव" के माध्यम से विश्वविद्यालय एवं अन्तर्विश्वविद्यालय स्तर पर प्रतिनिधित्व का अवसर प्राप्त होता है।

वार्षिकोत्सव

महाविद्यालय में प्रतिवर्ष वार्षिक खेलकूद, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक तथा स्नेह–सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। खेलकूद प्रतियोगिताओं के अन्तर्गत दौड़, गोला फेंक, तवा फेंक, भाला फेंक, ऊँची कूद, लम्बी कूद एवं क्रिकेट आदि प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं। साहित्यिक प्रतियोगिताओं के अन्तर्गत निबन्ध लेखन, कहानी लेखन, कविता लेखन, तात्कालिक भाषण, भाषण एवं वाद–विवाद प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं। वार्षिक स्नेह सम्मेलन में विद्यार्थियों को नाटक, एकांकी, गायन, नृत्य, एकल अभिनय आदि विधाओं में सहभागिता का अवसर प्रदान किया जाता है। सहभागिता हेतु महाविद्यालय के प्राध्यापकों एवं छात्रसंघ प्रभारी से संपर्क किया जा सकता है।

खेलकूद

इस महाविद्यालय में आउटडोर खेल व्हालीवाल, बास्केटबाल, खो–खो, कबड्डी, हैंडबाल के मैदान, क्रिकेट सीमेंट पिच की सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहीं इंडोर खेल सुविधाओं में टेबल–टेनिस, कैरम एवं शतरंज की सुविधा उपलब्ध है। खेलकूद में रूचि रखने वाले छात्र/छात्रा प्रवेश प्राप्त करने के बाद खेलकूद विभाग से संपर्क कर खेल सुविधा का लाभ उठायें।

ग्रन्थालय

महाविद्यालय ग्रन्थालय में लगभग 65,000 पाठ्य पुस्तकें तथा ग्रंथों का विशाल संग्रह है। सामान्य वर्ग के स्नातक स्तर के छात्र–छात्राओं को 02 एवं स्नातकोत्तर स्तर के छात्र–छात्राओं को 04 पाठ्यपुस्तकें 15 दिन की अवधि के लिये प्रदान की जाती हैं। ग्रंथालय से पुस्तकें प्राप्त करने के नियम एवं समय–सारणी की जानकारी ग्रंथालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाती हैं ।

बुक बैंक योजना

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले छात्र–छात्राओं को बी.पी.एल. बुक बैंक योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त पाठ्यपुस्तकें प्रदान की जाती हैं। योजना से संबंधित विस्तृत

जानकारी के लिए ग्रंथालय से संपर्क करें। अनूसूचित जाति / अनुसूचित जनजातियों के छात्र–छात्राओं के लिये पृथकतः बुक बैंक योजना है। महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात् छात्र प्रवेश–पत्र, परिचय पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना की विस्तृत जानकारी के लिए ग्रंथालय से संपर्क करें।

वाचनालय

महाविद्यालय के वाचनालय में प्रमुख पत्र, शोध पत्रिकाएँ, प्रोजेक्ट फाईल्स, प्रश्न–पत्र, आदि सामग्री उपलब्ध करायी जाती है। इनका उपयोग छात्र–छात्राएं वाचनालय में बैठकर कर सकते हैं। वाचनालय की समय–सारिणी ग्रंथालय द्वारा जारी की जाती है।

राष्ट्रीय सेवा योजना (National Social Service)

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई भी उपलब्ध है। महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबद्ध है। इसके अंतर्गत समाज सेवा कार्य किया जाता है। इच्छुक छात्र–छात्राएं निर्धारित आवेदन पत्र भरकर इस योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। एन.एस.एस. के अंतर्गत ''B'' एवं ''C'' प्रमाण–पत्र परीक्षाएं, महाविद्यालय में आयोजित की जाती है। एन. एस. एस. द्वारा प्रवेश सूचना जारी किया जाता है।

राष्ट्रीय कैडेट कोर (National Cadet Core)

महाविद्यालय में एन.सी.सी. की सुविधा केवल थल सेना छात्राओं के लिये तथा नौ सेना छात्रों के लिए उपलब्ध है। एन.सी.सी. में प्रवेश के लिए इच्छुक छात्राएं निर्धारित आवेदन पत्र भरकर प्रस्तुत कर सकती हैं। एन.सी.सी. के लिये भी पृथक से प्रवेश सूचना जारी की जाती है। संबंधित यूनिट में छात्र / छात्राओं हेतु 50–50 सीटें निर्धारित है।

कैरियर परामर्श एवं मार्गदर्शक प्रकोष्ठ

महाविद्यालय के प्राचार्य के संरक्षण में अनुभवी एवं वरिष्ठ प्राध्यापकों के संयोजन से इन प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इनके द्वारा समय–समय पर परामर्श/ मार्गदर्शन के विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इन प्रकोष्ठों की सभी गतिविधियों की सूचना छात्रों को सूचना पटल के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती हैं। सभी प्रवेशित छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस तरह रचनात्मक कार्यक्रमों का लाभ उठावें।

प्लेसमेंट प्रकोष्ठ

महाविद्यालय में प्राचार्य के संरक्षण में प्लेसमेंट प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इस प्रकोष्ठ द्वारा निजी / सार्वजनिक क्षेत्रों के संस्थानों के सहयोग से कैम्पस चयन / साक्षात्कार कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। प्लेसमेंट प्रकोष्ठ की गतिविधियों की जानकारी छात्रों को सूचना पटल के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है।

शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

महाविद्यालय में शिकायत प्रकोष्ठ में छात्र–छात्राओं की महाविद्यालय से संबंधित शिकायतों का निवारण किया जाता है। छात्र– छात्राएं अपनी शिकायत / समस्या इस प्रकोष्ठ

में दर्ज करा सकते हैं। इस प्रकोष्ठ की गतिविधियों की जानकारी सूचना पटल के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है।

छात्रा (महिला) प्रकोष्ठ

महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं के लिए इस विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इस प्रकोष्ठ में छात्राएं अपनी समस्याओं/शिकायतों को प्रस्तुत कर सकती हैं। इस प्रकोष्ठ की गतिविधियों की समय–समय पर जानकारी सूचना पटल पर उपलब्ध करायी जाती है।

निर्धन छात्र कोष

महाविद्यालय में निर्धन छात्रों को इस कोष के माध्यम से सहायता उपलब्ध करायी जाती है। इस कोष के संबंध में विस्तृत जानकारी महाविद्यालय के छात्र शाखा से प्राप्त की जा सकती है।

नेटवर्क रिसोर्स सेन्टर

महाविद्यालय में स्नातकोत्तर छात्र–छात्राओं के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से नेटवर्क रिसोर्स सेन्टर (यू.जी.सी. एन. आर.सी.) स्थापित किया गया है। जिसमें छात्र अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केन्द्र एन–लिस्ट कनेक्टीविटी

सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क (इनफ्लिब नेट) केन्द्र, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केन्द्र है, जो शैक्षणिक अनुसंधान संस्थानों के बीच पुस्तकालय और सूचना संसाधनों और सेवाओं के आदान के लिए बुनियादी सुविधाओं को बनाने में शामिल है। महाविद्यालय में सत्र 2011–12 से "सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केन्द्र (इनफ्लिब नेट) अहमदाबाद की "एन–लिस्ट कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध है। इस सुविधा के अंतर्गत शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिये 51746 e–books, 2100 + जर्नल्स उपलब्ध होंगे एवं Maths Scinet Bibliographic database (20 Lac reviewes) की सुविधा उपलब्ध है। इच्छुक विद्यार्थी संबंधित विषय के विभागाध्यक्ष से इस हेतु संपर्क कर सकते हैं।

स्वशासी योजना :–

महाविद्यालय में स्वशासी योजना के अन्तर्गत बी. ए., बी.कॉम., बी.एस–सी. एवं स्नातकोत्तर स्तर पर एम.ए., एम.कॉम. (DBM, PGDCA, MSW) और एम.एस–सी. कक्षाएं सम्मिलित हैं।

- शिक्षा स्तर में गुणात्मकता हेतु यह प्रावधान किया गया है कि स्नातकोत्तर स्तर पर प्रत्येक सेमेस्टर में प्रत्येक प्रश्न–पत्र में एक सेमीनार होगा। प्रत्येक सेमीनार / आन्तरिक मूल्यांकन में विद्यार्थी का सम्मिलित होना अनिवार्य है।
- उपर्युक्त सेमीनार मूल्यांकन में पूर्णांक 20 होंगे। इसके प्राप्तांक परीक्षा में जोड़े जायेंगे। परीक्षा में लिखित प्रश्न पत्र में पूर्णांक 80 होगा।
- स्नातक स्तर पर शासन के निर्देशानुसार आन्तरिक परीक्षा लिये जाने का प्रावधान है। इसमें अनुपस्थित रहने पर विद्यार्थी को वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी।

- स्नातकोत्तर एवं सेमेस्टर परीक्षा प्रत्येक प्रश्नपत्र एवं आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में 20 प्रतिशत अंक पृथक–पृथक प्राप्त करेगा।
- प्रत्येक विद्यार्थी की प्रत्येक विषय/प्रश्न पत्र में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, अन्यथा वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी।

ट्यूटोरियल कक्षाएं:–

महाविद्यालय में सभी विषयों हेतु प्रति सप्ताह दो काल खण्ड ट्यूटोरियल कक्षाओं हेतु निर्धारित हैं। विषयवार कालखण्डों की जानकारी महाविद्यालय की समय–सारणी से प्राप्त की जा सकती है तथा विद्यार्थी अपने विषय को ट्यूटोरियल कक्षाओं में उपस्थित होकर लाभान्वित हो सकते हैं।

अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं :–

1 पात्रता संबंधी :–

1. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर, बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली द्वारा संचालित 10+2 (बारहवीं) परीक्षा उत्तीर्ण को छोड़कर अन्य बोर्ड अथवा प्री–डिग्री यूनिवर्सिटी परीक्षा उत्तीर्ण कर आने वाले छात्र को इस विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही प्रवेश दिया जायेगा।
2. इस विश्वविद्यालय को छोड़कर यदि छत्तीसगढ़ के अन्य विश्वविद्यालय या छत्तीसगढ़ के बाहर विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्रवेश दिया जायेगा।

नोट :– पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु अपने समस्त परीक्षाओं की अंक सूचियों की अभिप्रमाणित फोटो प्रति, उपाधि प्रमाण–पत्र, प्रवजन प्रमाण पत्र एवं निर्धारित फीस सहित विश्वविद्यालय को निर्धारित आवेदन प्रस्तुत करते हुए पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा।

2. विश्वविद्यालय नामांकन संबंधी :–

1. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले समस्त छात्रों को नामांकन फार्म भरना होगा।
2. प्रथम वर्ष में संकाय परिवर्तन पश्चात् प्रवेश लेने पर नामांकन शुल्क देना होगा एवं नामांकन फार्म भरना होगा ।
3. अमहाविद्यालयीन उत्तीर्ण छात्रों को नियमित प्रवेश लेने पर नामांकन शुल्क देना होगा एवं नामांकन फार्म भरना होगा।
4. डी. बी. एम. एवं एल.एल.बी. में प्रवेश लेने वाले छात्रों को संकाय परिवर्तन शुल्क एवं नामांकन फार्म भरना होगा।
5. स्नातकोत्तर कक्षा में संकाय परिवर्तन पश्चात् प्रवेश लेने वाले छात्रों को संकाय परिवर्तन शुल्क एवं नामांकन शुल्क देना होगा एवं नामांकन फार्म भरना होगा।

नोट :– नामांकन के लिए समस्त कक्षाओं की अंक सूचियां (अनुत्तीर्ण/ उत्तीर्ण कक्षाओं की फोटो प्रति) पात्रता प्रमाण पत्र की मूल प्रति नामांकन फार्म के साथ संलग्न करना होगा । गैप होने पर गैप प्रमाण–पत्र (नोटरी का प्रस्तुत करना होगा।

(क) व्यावसायिक प्रबंध उपाधि (डी.बी.एम.)

यह रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का एक वर्षीय पूर्णकालिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम है। इसका उद्देश्य छात्रों को व्यवसाय द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली आधुनिक तकनीक की जानकारी देना तथा परिवर्तनशील पर्यावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से कार्य करने की उनमें योग्यता पैदा करना है।

पात्रता– वाणिज्य, कला, समाज विज्ञान, कृषि एवं इंजीनियरिंग की स्नातक या स्नातकोत्तर कक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र ही इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं।

(ख) बी.कॉम. व्यावसायिक पाठ्यक्रम :–

पाठ्यक्रम का नाम	–	**कर प्रक्रिया एवं व्यवहार (Tax Procedure and Practices)**
कुल स्थान	–	30 (तीस) आरक्षण शासकीय नियमों के अनुरूप होगा ।
प्रवेश का आधार	–	बी.कॉम. प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्र–छात्राओं के गुणानुक्रम के आधार पर, प्रवेश समिति द्वारा अनुशंसित ।
पाठ्यक्रम	–	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के योजना के अनुरूप यह पाठ्यक्रम व्यवहारिक अर्थशास्त्र समूह के स्थान पर पढ़ाया जायेगा। इसका निर्धारण महाविद्यालय के वाणिज्य अध्ययन मंडल द्वारा किया जायेगा।

3. शिक्षा में गुणात्मक सुधार :–

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए, महाविद्यालय में स्वशासी स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्येताओं के सतत मूल्यांकन की व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक सेमेस्टर एवं प्रत्येक प्रश्न–पत्र के लिए एक सेमीनार का प्रावधान है। प्रत्येक सेमीनार में छात्र / छात्रा को शामिल होना अनिवार्य है । अन्यथा ऐसे छात्र / छात्रा को सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी। प्रत्येक प्रश्न पत्र एवं प्रत्येक सेमीनार के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित हैं।
2. छात्र की सभी विषयों में उपस्थिति 75 प्रतिशत से अधिक होगी, तभी उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जायेगी। 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर छात्र को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की स्वशासी की परीक्षा में नियमित परीक्षार्थी के रूप में बैठने की पात्रता नहीं है।

4. आचरण संहिता

सामान्य नियम

प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिये।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार असंसदीय भाषा का प्रयोग ,गाली गलौच, मारपीट या अस्त्र–शस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार रखेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर–उधर थूकना, दीवालों को गन्दा करना या गंदी बाते लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी के असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन, आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय परिसर एवं कक्षाओं में मोबाईल के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
10. छात्र रैगिंग में लिप्त नहीं रहेंगे।
11. विद्यार्थी महाविद्यालय परिसर में अपने वैध परिचय–पत्र के साथ ही प्रवेश करेंगे।

अध्ययन सम्बंधी नियम :–

1. प्रत्येक विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी. / एन. एस.एस. में भी लागू होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ–सुथरा रखेगा।
3. ग्रन्थालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से सम्बंधित किसी भी कठिनाई के लिये वह गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शान्तिपूर्ण ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।

स्वशासी स्नातकोत्तर सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

स्नातकोत्तर स्तर की सेमेस्टर परीक्षाओं में सेमिनार का प्रावधान किया गया है। स्वशासी विभाग द्वारा प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर हेतु नवम्बर माह में एवं द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर हेतु अप्रैल माह में सेमिनार आयोजित किये जाते हैं। सेमिनार आयोजन की तिथि एवं समय की

सूचना संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना पटल के माध्यम से दी जाती है। सेमिनार में अनुपस्थित रहने पर विद्यार्थी को अगले शिक्षा सत्र में संबंधित सेमेस्टर के सैद्धांतिक एवं सेमिनार दोनो में सम्मिलित होना होगा।

प्रवेश इच्छुक विद्यार्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ

1. छत्तीसगढ़ शासन एवं पं. रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा प्रसारित मार्गदर्शक सिद्धांतों, निर्देशों एवं आदेशों के अधीन ही विद्यार्थी को महाविद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा।
2. स्वशासी स्नातकोत्तर कक्षाओं (एम.ए., एम.कॉम. एवं एम.एस–सी.) में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण घोषित किये गये विद्यार्थी को प्रवेश सेमीनार मूल्यांकन परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व तक ही दिया जा सकेगा। सेमीनार मूल्यांकन परीक्षा प्रारंभ हो जाने पर स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश स्वमेय बंद हो जायेगा।
3. स्नातक स्तर की कक्षाओं के लिए पं. रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिये महाविद्यालय की अकादमिक परिषद्/विषय की पाठ्यक्रम समिति द्वारा पारित पाठ्यक्रम ही मान्य होगा। स्वीकृत पाठ्यक्रमानुसार वैकल्पिक प्रश्न पत्रों का चयन विभागाध्यक्ष की अनुमति से किया जा सकेगा।
4. बी. ए. भाग–1, कक्षा के लिये पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा निर्धारित समूह में से अध्येयता तीन वैकल्पिक विषयों का चयन कर सकता है।
5. छत्तीसगढ़ शासन के आदेशानुसार महाविद्यालय के प्राचार्य / प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक द्वारा निजी ट्यूशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।
6. प्रवेश आवेदन–पत्र जमा करते समय, आवेदन पत्र में मांगी गयी समस्त जानकारियां एवं मांगे गये प्रपत्र को उपलब्ध/संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
7. महाविद्यालय से संबंधित कार्य जैसे प्रवेश आवेदन–पत्र शुल्क आदि छात्र / छात्राएँ स्वयं जमा करें।
8. अनुशासनहीनता, लगातार अनुपस्थिति, शुल्कों का नियमित न जमा किया जाना, असंतोषजनक आचरण, रैगिंग आदि के कारण प्राचार्य किसी भी अध्येता का नाम महाविद्यालय सूची से काटने हेतु सक्षम है।
9. प्रत्येक अध्येता के लिये परिचय पत्र बनवाना अनिवार्य है, जिसमें पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो लगा हो। महाविद्यालय परिसर में प्रत्येक अध्येता को अपना परिचय पत्र लेकर आना अनिवार्य है। गुम हो जाने या नष्ट हो जाने की स्थिति में विद्यार्थी द्वारा शपथ पत्र जुर्माना देने पर ही दूसरा परिचय पत्र जारी किया जायेगा।
10. पर्यावरण की सुरक्षा के लिये स्वचलित वाहनों के बदले सायकल का उपयोग करें।
11. अनावश्यक रूप से छात्र–छात्रायें परिसर में कहीं भी न बैठें ।
12. स्कार्फ लगाकर महाविद्यालय में प्रवेश न करें।
13. महिला हेल्प लाईन नं. 1091 है।
14. मद्य पदार्थों का सेवन कर महाविद्यालय में प्रवेश प्रतिबंधित है।

अपील

समस्त अभिभावकों/नागरिकों से अपील :–

अध्येताओं के सर्वांगीण विकास एवं श्रेष्ठतर शिक्षा देने के लिये महाविद्यालय परिवार प्रतिबद्ध है। शिक्षा संस्थाओं के संधारण एवं अध्येयताओं के लिए सुविधाओं के प्रबंधन के बढ़ते व्यय को ध्यान रखते हुए शासन ने जनभागीदारी योजना द्वारा नागरिकों में से अपेक्षा की है कि वे अपने क्षेत्र की उच्च शिक्षा संस्थाओं का मुक्त हस्त से दान राशि देकर एवं अन्य तरह से सहयोग प्रदान करेंगे। शासन की इसी भावना के अनुरूप महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति ने भी समाज के सभी वर्गों से अधिकाधिक दान राशि देकर सहयोग प्रदान करने की अपील की है। दान राशि हेतु एक हजार एवं पांच सौ रूपये के दान पत्रक महाविद्यालय में उपलब्ध है। अतः सभी से अपील है कि अधिकाधिक दान पत्र खरीद कर शिक्षा के इस राष्ट्रीय महत्व के पुनीत कार्य में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

विशेष अपील

(महाविद्यालय में अध्ययन कर चुके पूर्व छात्रों से)

छत्तीसगढ़ राज्य के प्राचीन एवं प्रथम उच्च शिक्षा संस्थान में अध्ययन कर चुके विद्यार्थियों से निवेदन है कि वे इस गौरवमयी संस्था के उत्तरोत्तर विकास में अपना अमूल्य योगदान/सहयोग दें। महाविद्यालय के उत्तरोत्तर विकास में कई प्रकार से योगदान/सहयोग दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए अपने परिजन की स्मृति में मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कार/मैडल, ग्रन्थालय के लिये पुस्तकें आदि खेलकूद के क्षेत्र में सुविधा/पुरस्कार निर्धन छात्रों को सहायता, महाविद्यालय परिसर के विकास में सहयोग आदि। महाविद्यालय में "एलूमिनी एसोसिएशन'' (Alumini Association) का विधिवत गठन किया गया है । इस संबंध में महाविद्यालय के प्राचार्य से सम्पर्क करने का कष्ट करें।

रैगिंग पर पूर्ण प्रतिबंध

- रैगिंग दण्डनीय अपराध है ।
- महाविद्यालय परिसर में मोबाईल के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है।
- विद्यार्थी सदैव अपना परिचय पत्र साथ रखें।
- महाविद्यालय परिसर में मादक पदार्थों का सेवन वर्जित है।
- रैंगिंग में लिप्त विद्यार्थी को पांच वर्ष का कारावास अथवा पांच हजार रूपये का अर्थदण्ड हो सकता है।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बी.पी.एल.)छात्र– छात्राओं के लिए विशेष योजना

शासन के निर्देशानुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले छात्र–छात्राओं को बुक बैंक योजना एवं छात्र कल्याण छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत सुविधाएं प्राप्त होगी अतएव संबंधित छात्र–छात्राएँ प्रवेश आवेदन पत्र के साथ ही बी.पी.एल. प्रमाण–पत्र अवश्य संलग्न करें।

पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति

महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के ऐसे छात्र–छात्राएं जो शासन के द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु पात्र है, शासन की निम्न वेबसाईट के माध्यम से अपना आवेदन पत्र प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात् तुरंत प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। ऑनलाइन आवेदन शासन की वेबसाईट (http://tribal-cg-gov-in@eschoolarship) ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु दिशा–निर्देश

छात्रवृत्ति कक्ष के सम्मुख दर्शाये गये हैं। आवेदन करने के पूर्व दिशा–निर्देशों का अनिवार्य रूप से अध्ययन करें।

टीपः– महाविद्यालय के नवप्रवेशित छात्र–छात्राओं को ही ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करना है। विगत वर्ष जिनका ऑनलाईन आवेदन हो चुका है, वे पुराने ID में आवेदन न करें।

Fees Structure 2024-25

कक्षा	Nov - Govt	Govt	J.B.	Grand Total	Reamrk
BA-I	**1548**	**120**	**550**	**2218**	
प्रायोगिक	**1648**	**130**	**550**	**2328**	
B.COM-I	**1548**	**120**	**550**	**2218**	
कम्प्यूटर	**3548**	**120**	**550**	**4218**	
B.SC.-I	**1648**	**140**	**550**	**2338**	
BA-II, III	**738**	**120**	**450**	**1308**	
प्रायोगिक	**838**	**130**	**450**	**1418**	
B.COM-II, III	**738**	**120**	**450**	**1308**	
with COMPUTER	**2738**	**120**	**450**	**3308**	
B.SC.-II, III	**838**	**140**	**450**	**1428**	
MA & M.COM (PRE) अन्य महाविद्यालय	**1403**	**140**	**500**	**2043**	
इस महाविद्यालय	**843**	**140**	**400**	**1383**	
प्रायोगिक **Geogrpahy, AIH** अन्य महाविद्यालय	**1503**	**150**	**500**	**2153**	
इस महाविद्यालय	**943**	**150**	**400**	**1493**	
M.Sc. Previous (Chem, Phy, Zoo, Anthro)	**2003**	**160**	**500**	**2663**	
अन्य महाविद्यालय	**1443**	**160**	**400**	**2003**	
M.Sc. Previous (Maths)	**1403**	**140**	**500**	**2043**	
इस महाविद्यालय	**843**	**140**	**400**	**1383**	
MA & M.COM (Final)	**753**	**140**	**400**	**1293**	
प्रायोगिक **Geogrpahy, AIH**	**853**	**150**	**400**	**1403**	
M.Sc. Final (Maths)	**853**	**160**	**400**	**1413**	
M.Sc. Final (Chem, Phy, Zoo, Anthro)	**1353**	**160**	**400**	**1913**	
LL.B.-I अन्य महाविद्यालय	**1703**	**177**	**800**	**2680**	
इस महाविद्यालय के छात्र	**1643**	**177**	**700**	**2520**	
LL.B.-II, III नवीनीकरण	**1553**	**177**	**700**	**2430**	
LL.M.-I अन्य महाविद्यालय	**1203**	**107**	**800**	**2110**	
इस महाविद्यालय के छात्र	**1103**	**107**	**700**	**1910**	
LL.M.- II नवीनीकरण	**1053**	**107**	**700**	**1860**	
MSW अन्य महाविद्यालय	**3403**	**140**	**500**	**4043**	
इस महाविद्यालय के छात्र	**2843**	**140**	**400**	**3383**	
PGDCA अन्य महाविद्यालय	**3503**	**160**	**550**	**4213**	
इस महाविद्यालय के छात्र	**2943**	**160**	**450**	**3553**	

DBM अन्य महाविद्यालय	**1403**	**140**	**550**	**2093**	
इस महाविद्यालय के छात्र	**843**	**140**	**450**	**1433**	
Ph.D.-I	**3620**		**800**	**4420**	
Ph.D. नवीनीकरण	**2900**			**2900**	

टीप – शासकीय शुल्क में छूट **(SC, ST, Girls) UG. 115.00, PG-135.00,** व्यावसायिक पाठ्यक्रम में कोई छूट नहीं है, जैसे – **LL.B., LL.M, PGDCA, MSW, DBM**

Government Chhattisgarh P.G. College, Raipur (C.G.)

Staff List (Class-I & II)

Principal - Dr.Amitabh Banerjee

S. No.	Name of Employee	Designation
	Hindi	
1	Dr. Smt.Manjula Upadhyay	Asstt. Professor
2	Dr. Smt. Subhadra Rathore	Asstt. Professor
3	Dr. Smt. S. Nalgundwar	Asstt. Professor
4	Dr. Rajani Yadu	Asstt. Professor
	Commerce	
5	Dr. Vijay Agrawal	Professor
6	Dr. D.K. Pandey	Professor
7	Dr. Tapesh Chandra Gupta	Professor
8	Dr. A.K. Sharma	Asstt. Professor
9	Dr. Pinki Garg	Asstt. Professor
	English	
10	Dr. Smt. K. Tiwari	Professor
11	Shri A.K. Tiwari	Asstt. Professor
12	Dr. Smt. Monika Singh	Asstt. Professor
13	Dr. Smt. Anita Juneja	Asstt. Professor
14	Dr. Rachana Mishra	Asstt. Professor
15	Dr. Shanshank Gupta	Asstt. Professor
	History	
16	Dr. Smt. S.S. Gour	Professor
17	Dr. V.D. Sahasi	Asstt. Professor
18	Dr. Rajesh Shukla	Asstt. Professor
19	Dr. Anil Kumar Pardhi	Asstt. Professor
	Law	
20	Dr. Smt. Vinita Agrawal	Asstt. Professor
21	Dr. D.D. Prusty	Asstt. Professor
22	Shri Suresh Kumar	Asstt. Professor
23	Dr. Bhoopendra Karwande	Asstt. Professor
24	Shri Dinesh Malviya	Asstt. Professor
25	Sudeep Sarwan	Asstt. Professor
26	Dr. Shiv Kumar Kurrey	Asstt. Professor
27	Dr. Tripti Chandrakar	Asstt. Professor
28	Shri Hemant Nandagauri	Asstt. Professor
	Maths	

29	Dr. Pushpa Kaushik	Professor
30	Dr. M. Verma	Asstt. Professor
31	Dr. A. Chandravanshi	Asstt. Professor
32	Dr. Bhuneshwari Verma	Asstt. Professor
33	Dr. Niyati Gurudwan	Asstt. Professor
34	Dr. Hemlal Sahu	Asstt. Professor
Economics		
35	Dr. K.K. Bindal	Professor
36	Dr.C.S.Ojha	Asstt. Professor
37	Dr. Deepshikha Vij	Asstt. Professor
38	Dr. Smt.Purnima Mishra	Asstt. Professor
Political Science		
39	Dr. Smt. Aruna Sharma	Asstt. Professor
40	Dr. Kirtan Kumar Sahu	Asstt. Professor
41	Nisha Sharma	Asstt. Professor
Public Administration		
42	Dr. Smt. Shilpi Bose	Asstt. Professor
43	Dr. Aruna Thakur	Asstt. Professor
44	Shri Sunil Tiwari	Asstt. Professor
Physics		
45	Shri Akhilesh Jadhav	Asstt. Professor
46	Dr. Anjali Bhatnagar	Asstt. Professor
47	Dr. Lakhpati Patel	Asstt. Professor
Botany		
48	Dr. S.K. Verma	Asstt. Professor
49	Smt. Namrata Dubey	Asstt. Professor
50	Dr. Roopshikha Agrawal	Asstt. Professor
Sociology		
51	Dr. Smt. Preeti Mishra	Professor
52	Dr. Sanjay Chandrakar	Asstt. Professor
53	Dr. Manoj Kumar Sahu	Asstt. Professor
Anthropology		
54	Dr. D. K. Verma	Professor
55	Dr. Smt. Neerja Sen	Asstt. Professor
56	Dr. Sampada Bais	Asstt. Professor
57	Deepa Sharma	Asstt. Professor
Zoology		
58	Dr.Smt. Parmita Dubey	Asstt. Professor
59	Dr. Jharna Rani Nag	Asstt. Professor
60	Dr. Anil Ramteke	Asstt. Professor
61	Smt. Mamta Patel	Asstt. Professor
62	Dr. Vibha Choubey	Asstt. Professor
Chemistry		
63	Dr. Goverdhan Vyas	Asstt. Professor
64	Smt. Anuradha Choudhary	Asstt. Professor

65	Dr. Yamini Thakur	Asstt. Professor
Geography		
66	Dr. Smt. Jyotsana Sharma	Asstt. Professor
67	Dr. Geeta Rai	Asstt. Professor
Ancient Indian History		
68	Dr. A.K. Parsai	Asstt. Professor
69	Dr. Smt. Mona Jain	Asstt. Professor
Psychology		
70	Dr. Anamika Modi	Asstt. Professor
71	Dr. Vinita Swarnkar	Asstt. Professor
Computer Science		
72	Dr. Smt. Swati Jain	Asstt. Professor
73	Neha Tikariha	Asstt. Professor
74	Dr. Vaishali Sarde	Asstt. Professor
Sports		
75	Shri Rupendra Singh Chouhan	Sports Officer

Note :- महाविद्यालय की प्रवेश विवरणिका एवं शासन की प्रवेश मार्गदर्शिका में विरोधाभास होने की स्थिति में शासन की प्रवेश मार्गदर्शिका को अंतिम माना जावे ।

****